न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 14 / 2018

1. सुमन देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. पतराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत बिरकाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली तहसील नोहर।
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर दिनांक 14.05.2018

उपस्थितिः– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 14.10.2021**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. निगरानीधीन निर्णय दिनांक 14.05.2018 प्रकरण संख्या 26 / 2016 बअनवानी पतराम बनाम सुमन देवी आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर विधि की अवहेलना में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण किये बिना किया गया है। जो अपास्तीय है।
2. प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 10.01.2009 को जारी पटटा शुदा भूखण्ड में उत्तर में 12.5 फुट दक्षिण 11.5 फुट, उत्तर–दक्षिण 45 फुट की जगह पटटा स0 46 का पटटा बना हुआ है। उक्त पटटा ग्राम पंचायत बिरकाली तहसील नोहर द्वारा विधिवत तौर से प्रार्थीया के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त पटटा शुदा जगह ग्राम बिरकाली की आबादी भूमि में ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा जारी किया गया है। उक्त पटटे शुदा भूखण्ड गली जगह का भोग कभी नहीं रहा है। अप्रार्थी ने महज मातहत अदालत के समक्ष अपील का आधार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बनाने हेतु तथ्य अभिकथित किये है गैरसायल के घर का मुख्य दरवाजा उसके रिहायशी मकान के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण गुजरने वाली गली में खुलता है तथा उक्त दरवाजे से गैरसायल का अपने घर में बिना किसी विधन बाधा से सुचारू रूप से आवागमन होता आ रहा है। गैरसायल प्रार्थीया को तंग व परेशान करने की नियत से अपने उक्त रिहायशी मकान का एक दरवाजा सायल के भूखण्ड के दक्षिण दिशा में स्थित अपनी निजी गली में सायल द्वारा अपने भूखण्ड के दक्षिण दिशा में गैरसायल सायल की दिवार तौड़कर जबरदस्त गेट आदि निकालना चाहा तब प्रार्थीया ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर के यहा वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दीवानी प्रकरण स0 145/16 दिनांक 18.01.2018 सुमन बनाम पूर्णराम में यथास्थिति के आदेश पारित हुये उक्त आदेश के जैरकार रहते मातहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय गैर कानूनी ढ़ग से स्थगन आदेश की अवहेलना में पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत के समक्ष प्रार्थीया द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया था कि निगरानीधीन भूखण्डों पर उसका पुराना कब्जा है जिस पर निर्माण किया हुआ है एवं पुराने समय से ही उक्त दोनों भूखण्डों के पटटा स0 40 व 46 दिनांक 10.01.2009 प्रार्थीया का पुराना कब्जा है तथा चार दीवारी मय मकानात के कायम है। पुराना कब्जा के आधार पर ही ग्राम पंचायत ने विधिक प्रकिया अपनाकर नियमानुसार पटटे जारी किये गये है। उक्त दोनों पटटे गली की जगह के नहीं है गली पृथक रूप से कायम है, जो खाली है उसमें सुचारू रूप से आवागमन होता आ रहा है। पटटे शुदा जगह पर कभी भी गली नही रही है। मातहत अदालत ने सही तौर से मौका निरीक्षण नही किया मौका रिपोर्ट अधूरी व अस्पष्ट एवं एक पक्षीय तथा बिना कोरम के हस्ताक्षर किये बिना ही तैयार की है जो टेबल रिपोर्ट है तथा वास्तविकता के अन्दर कोई मौका मुआयना नहीं किया गया है इसलिए निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत ने राजस्थान पंचायत राज0 अधिनियम सन् 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहय के विनियमितिकरण का पटटा प्रार्थीया के पक्ष में जारी होना स्वीकार किया है तथा पटटा 46 आम गली का होना बताया है व पटटा स0 40 की दक्षिण हिस्सा की भूमि सम्मिलित करते हुए जारी करना बताया गया है। जबकि प्रार्थीया के पक्ष में जारी पटटे शुदा भूखण्डों पर निर्माण व चार दीवारी पुराने समय से ही निर्मित है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सिविल न्यायालय मे जैरकार वाद व प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश में प्रस्तुत सर्व कमिश्नर की रिपोर्ट से पूर्णतया स्पष्ट है। सायल का मकान आबादी भूमि में है तथा मातहत अदालत द्वारा वाद भूमि का नाप जोखा सही तरीके से नही किया गया है। अडौसी पड़ौसी की भूमि व पटटो का नाप नही किया गया केवल प्रार्थीया को तंग व परेशान करने हेतु समस्त कार्यवाही की गई है। किसी पड़ौसी का मकान कितने साईज का है उसके आगे गली कितने फुट चौड़ाई है उक्त पटटो में दर्ज है। उक्त समस्त तथ्य मातहत अदालत ने स्पष्ट नही किये। केवल गैरसायल को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निगरानीधीन निर्णय एक पक्षीय तौर से विवेकिय मस्तिष्क प्रयोग किये बिना पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

5. अप्रार्थी का प्रार्थीया के पक्ष में जारी पटटो का ज्ञान शुरू से ही था तथा दिनांक 27.11.2016 को पता चलने का तथ्य अप्रार्थी ने मनगढ़त तहरीर किया है। मातहत अदालत के समक्ष मियाद प्रार्थना पत्र मे सही व सन्तोषजनक तथ्य नही थे। सर्वप्रथम मियाद प्रार्थना पत्र निस्तारित करना चाहिए था। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

6. मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 अपील स0 26/16 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित नही किया गया है केवल कार्यालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित किया गया है तथा प्रशासन एवं स्थापना समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णय पारित नही है ना ही निर्णय पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर है तथा बिना कमेटी गठित किये बिना कोरम के तथा अध्यक्ष की गैर माजूदगी में निगरानीधीन निर्णय बिना किसी क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

निगरानी प्रार्थीया पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 14.05.2018 प्रकरण स0 26/2016 बअनवानी पतराम बनाम सुमन देवी आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया को दिनांक 10.01.2009 को पटटा संख्या 40 व 46 पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में से विधिवत रूप से जारी किये गये थे। गली में से पटटा जारी करने का आक्षेप निराधार है तथा गली से संबंधित कोई साक्ष्य भी पेश नही किये एवं अपील देरी से पेश करने का कोई कारण भी नही बताया। अपीलार्थीयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आबादी भूमि का नक्शा एवं सचिव तथा सरपंच की रिपोर्ट पेश नही की। स्टेंडिंग कमेठी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया। इस संबंध में सिविल न्यायालय में भी वाद जैरकार था जिससे संबंधित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये थे इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायायल ने अपील में निर्णय पारित कर दिया। आरआरटी 2006 पेज न0 824 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया निगरानीकार को ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा विनियमितिकरण का पटटा स0 40 व 46 दिनांक 10.01.2009 को क्रमशः 572.22 वर्गगज व 60 वर्गगज के जारी किये गये है जो गली की भूमि को मिलाकर जारी किये गये है। प्रार्थीया स्वयं ने उक्त भूखण्ड 10 साल पूर्व महावीर जाखड़ निवासी बिरकाली से खरीदा है। प्रार्थीया को उक्त भूखण्डों पर काबिल हुए 50 वर्ष से अधिक का समय नही हुआ है। इसलिए विनियमितिकरण का पटटे विधि विरूद्ध जारी किये गये है। ग्राम पंचायत को 572.22 वर्गगज व सार्वजनिक गली का पटटा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अप्रार्थी को निर्माण कार्य शुरू करते समय उक्त पटटो की जानकारी प्राप्त हुई तत्पश्चात समयावधी में विधि विरूद्ध जारी पटटो को खारिज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की। सिविल कोर्ट में विचाराधीन वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है, भूखण्डो के स्वामित्व से संबंधित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा प्रार्थीया निगरानीकार को दिनांक 10.01.2009 को पटटा संख्या 40 व 46 क्रमशः तादादी 572.22 वर्गगज व 60 वर्गगज के राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

विनियमितिकरण का पटटा जारी किया गया है। पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत 572.22 वर्गगज का पटटा जारी करने में सक्षम नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं मौका नक्शा के अनुसार पटटा संख्या 40 आंशिक रूप से गली की भूमि को शामिल कर जारी किया जाना जाहिर होता है व पटटा संख्या 46 गली की भूमि को शामिल कर जारी किया जाना जाहिर होता है तथा पटटा स0 46 के भूखण्ड पर पुराना रिहायशी आवास साबित नहीं होता है (मौका रिपोर्ट में नौहरा दर्शाया गया है)। ऐसी स्थिति में विनियमितिकरण का पटटा विधि विरूद्ध जारी किया गया है। प्रार्थीया द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पूर्णाराम पुत्र निकुराम के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का व अन्य विवाद बिन्दू (गली में दरवाजा निकालने व रैम्प बनाने आदि से संबंधित) बाबत पेश किया गया है।

उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप एवं परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/2021

(भागीरथ शाह आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)